न्यायालय– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, सिवान
उपस्थितः– उमेश मणि त्रिपाठी
A.B.P. No.-1427/2026
गीता देवी एवं अन्य बनाम बिहार सरकार
[जी0बी0 नगर थाना कांड संख्या 339/2024]
आदेश

23.06.2026 आवेदिकागण/अभियुक्तागण **गीता देवी एवं रेणु देवी** की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन सं0 1427/2026, जी0बी0नगर थाना कांड संख्या 339/2024, अंतर्गत धारा–341, 323, 325, 307, 504, 506,/34 भा0दं0सं0 पर आवेदिकागण/अभियुक्तागण के विद्वान अधिवक्ता संतोष कुमार सोनी एवं विपक्षी विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री रघुवर सिंह को सुना।

संक्षेप में अभियोजन का कथन है कि दिनांक 28.06.2024 को शाम 05 बजे जब सूचिका अपने घर का निर्माण कार्य करा रही थी तो पानी बह कर सड़क पर चला गया। तभी सूचिका के पट्टीदार धुरेन्द्र साह आए और गाली देते हुए घर से बाहर निकलने के लिए चुनौती देने लगे। जब सूचिका का पति हल्ला–गुल्ला सुनकर बाहर आए तो अच्छेलाल कुमार अपने हाथ में कुदाल लेकर आया और सूचिका के पति पर जान मारने की नियत से वार कर दिया। तब तक चंदन कुमार, अन्नु उर्फ विठल, गीता देवी, रेणु देवी एवं रामचंद्र सिंह अपने–अपने हाथ में टांगी, कुदाल, लाठी, दाब लेकर दौड़ते हुए आए और सूचिका के पति सुरेन्द्र साह को कुदाल और लाठी से अंधाधुन मारने लगे जिससे वह वहीं पर बेहोश हो गए। जब सूचिका के घर में काम करने आए मजदूर श्रवण साह छुड़ाने लगे तो अच्छेलाल कुमार अपने हाथ में लिए दाब से जान मारने की नियत से वार कर दिए जिससे उनके मुंह पर लगा और दाड़ी कट गई। जिससे काफी खून बहने लगा। उसके बाद सभी मिलकर उसे मारने लगे। जब श्रवण साह और सूचिका के पति बेहोश हो गए तो उपरोक्त लोगों ने शौचालय की टंकी में फेंक दिया ताकि उसी में दोनों लोगों की मृत्यु हो जाए। इन लोगों को देख सूचिका का पुत्र विशुनु कुमार निकालने गया तो उपरोक्त सभी लोग मिलकर लाठी, रड़ से मारने लगे तब तक धुरेन्द्र साह ने सूचिका को जान मारने के लिए अपने हाथ में लिए कुदाल से वार कर दिया जिससे सूचिका के पीठ पर लगा और जख्मी हो गई। अच्छेलाल कुमार की कुदाल को गांव के लोगों ने छीनकर रखा है। उपरोक्त सभी लोगों ने जान मारने की धमकी देते हुए चले गए तो उसी समय सदर अस्पताल सिवान में सूचिका एवं अन्य लोगों का ईलाज कराया।

आवेदिकागण/अभियुक्तागण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि सूचिका उषा देवी के द्वारा दिए गए कंप्यूटरकृत आवेदन के आधार पर यह मामला पंजीकृत कराया गया है। आवेदिकागण की ओर से कोई अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन कभी भी विद्वान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवान या माननीय उच्च न्यायालय पटना के समक्ष दाखिल नहीं किया गया है। आवेदिकागण का अतीत साफ है और उसके खिलाफ इस मामला के अलावा अन्य कोई मामला पंजीकृत नहीं है। आवेदिकागण बिल्कुल निर्दोष है और उन्होंने कोई अपराध कारित नहीं किया है। आवेदिकागण के खिलाफ लगाया गया आरोप सामान्य एवं अस्पष्ट है। उभय पक्ष आपस में पट्टीदार है। उभय पक्षों के बीच लंबे समय से भूमि संबंधी विवाद चल रहा है। इस कांड के अन्य सह–अभियुक्तगण को पूर्व में जमानत की सुविधा प्रदान की जा चुकी है। उभय पक्षों के बीच सुलह हो गया है। आवेदिकागण मामले की जांच और सुवनाई में अपना पूर्ण सहयोग देने का वचन देते हैं। अतः उनके द्वारा आवेदिकागण/अभियुक्तागण को अग्रिम जमानत पर मुक्त किए जाने की प्रार्थना की गई।

विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री रघुवर सिंह के द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हुए अपने तर्क में यह कहा गया है कि आवेदिकागण द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का अपराध है। अतः अग्रिम जमानत आवेदन को खारिज किया जाय।

न्यायालय– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, सिवान
उपस्थितः– उमेश मणि त्रिपाठी
A.B.P. No.-1427/2026
गीता देवी एवं अन्य बनाम बिहार सरकार
[जी0बी0 नगर थाना कांड संख्या 339/2024]

23.06.2026
लगातार

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामले में प्राथमिकी जी0बी0नगर थाना कांड संख्या 339/2024, अंतर्गत धारा–341, 323, 325, 307, 504, 506,/34 भा0दं0सं0 के अंतर्गत आवेदिकागण/अभियुक्तागण के विरूद्ध पंजीकृत कराई गई है। आवेदिकागण के विरूद्ध अन्य सह–अभियुक्तों के साथ मिलकर सूचिका के पति के साथ मारपीट के क्रम में उसके सिर पर मारकर गंभीर रूप से जख्मी करने एवं बचाने के क्रम में सूचिका एवं उसके पुत्र विशुनु कुमार तथा मजदूर श्रवण कुमार के साथ मारपीट कर जख्मी करने के अपराध के लिए संस्थित किया गया है। कांड दैनिकी की कंडिका संख्या 2 में वादिनी का पुनः बयान अंकित है जिसमें उन्होंने प्राथमिकी का पूर्ण रूप से समर्थन किया है। कांड दैनिकी की कंडिका संख्या 6 एवं 7 में साक्षियों का बयान अंकित है जिसमें सभी साक्षियों ने प्राथमिकी एवं घटना का पूर्ण रूप से समर्थन किया है। कांड दैनिकी की कंडिका संख्या 47 के अनुसार आवेदिकागण के खिलाफ इस मामला के अलावा अन्य कोई मामला पंजीकृत नहीं है। कांड दैनिकी के साथ जख्मियों के जख्म प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न है जिसमें चिकित्सक के द्वारा सूचिका के पति सुरेन्द्र साह के सिर एवं नाक पर लगे जख्म को गंभीर प्रकृति का पाया गया है। आवेदिकागण/अभियुक्तागण द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का अपराध है। आवेदिकागण/अभियुक्तागण द्वारा कारित अपराध की प्रकृति एवं कारित जख्म की प्रकृति एवं उपरोक्त तथ्यों के आलोक में आवेदिकागण/अभियुक्तागण को अग्रिम जमानत पर मुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः आवेदिकागण/अभियुक्तागण **गीता देवी एवं रेणु देवी** के तरफ से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन दिनांक 26.05.2026 को उपरोक्त के आलोक में **खारिज** किया जाता है।

लेखापित
ह0/–
(उमेश मणि त्रिपाठी)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय,
सिवान।
दिनांक 23.06.2026

Date of Order/Judgment	23.06.2026
Date of Reserving Order/Judgment	23.06.2026
Uploading Date	02.07.2026
Uploaded By	Ravi Kant